

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2022/233

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री रामकुमार  
पिता गुण जाति बैरवा निवासी दोरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला  
है। प्रार्थी की जाति ग्राम दोरा पटवार मण्डल दोरा के खाता संख्या..... में चमार  
दर्ज है जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।  
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से  
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज  
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

(रामकुमार)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री रामकुमार पिता गुण की  
ग्राम दोरा प0म0 दोरा के खाता संख्या..... में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की  
वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा  
करें।

रामकुमार  
पटवारी 23-8-2022  
पटवार मण्डल दोरा  
वृत्त दोरा  
22-8-2022  
भूज01न0

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री रामकुमार पिता गुण की  
ग्राम दोरा प0म0 दोरा के खाता संख्या..... में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की  
सिफारिश की जाती है ।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
तहसीलदार  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आदेश

228/22  
24/6/22

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिषंशा के प्रार्थी  
श्री रामकुमार पिता गुण की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम दोरा  
प0म0 दोरा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या..... में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश  
दिया जाता है। अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।

रामकुमार  
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)